न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 469 सन 2022

अनवान :–

1. हरिराम पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

1. फूलीदेवी पत्नी नारायणसिह जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
2. महेन्द्र सिह पुत्र नारायणसिह जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
3. विनोद कुमार पुत्र नारायणसिह जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
4. शिशपाल पुत्र नारायणसिह जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 2/08/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 11 एनटीआर के खाता संख्या 29/28 की कुल 6.3250हैक भूमि मुश्तरका खाते में दर्ज है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक का 1/8 हिस्सा के खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जो एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने भूमि काश्त की सुविधा व आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवारिक समझौता किया जाकर वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया हुआ है जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है इसी अनुसार वाद भूमि काश्त करते आ रहे है एव आपसी सहमति से छोडे गये रास्ते का उपयोग करते आ रहे है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज ना होकर सयुक्त तौर से दर्ज है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वादी परिवारिक समझौता के अनुसार हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जो सयुक्त खातेदार काश्तकार है बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के नाम सयुक्त खाते में दर्ज है जिसका वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का परिवारिक समझौता किया जाकर बाहमी बटवारा किया गया था उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वाद भूमि का वादी एव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के मध्य वाद की मद संख्या 4 के अनुसार बाहमी बटवारा हुआ था उसी के अनुसार वाद भूमि का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग अलग किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with OKEN Scanner

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 11 एनटीआर के खाता संख्या 29/28 की कुल 6.3250हैक भूमि मुश्तरका खाते में दर्ज है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक का 1/8 हिस्सा के खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जो एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने भूमि काश्त की सुविधा व आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पारिवारिक समझौता किया जाकर वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया हुआ है जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है इसी अनुसार वाद भूमि काश्त करते आ रहे है एव आपसी सहमति से छोड़े गये रास्ते का उपयोग करते आ रहे है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज ना होकर सयुक्त तौर से दर्ज है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वादी पारिवारिक समझौता के अनुसार हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 11 एनटीआर के खाता संख्या 29/28 की कुल 6.3250हैक भूमि मुश्तरका खाते में दर्ज है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक का 1/8 हिस्सा के खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सयुक्त खाते में दर्ज है का वादी एव प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया था उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है इसी अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग अलग करवाना चाहते है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि का वाद की मद सख्या 4 के अनुसार खाता व लगान अलग दर्ज किया जाता है तो ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 11 एनटीआर ए के खाता संख्या 29/28 की कुल 6.3250हैक में से प0न0 390/421 (19) के किला न0 3 ,4 ,7 ,8 ,13 ,14 ,17 ता 22 प्रत्येक 0.2530हैक व किला न0 23 में पश्चिम की 0.1771हैक कुल 3.2121हैक भूमि वादी के पास रहेगी एवं प0न0 390/421(19) के किला न0 1 ,2/0.506 हैक ,9 ता 12/1.0120हैक , 23 मिन पूर्व की 0.0759हैक , 24/0.2530 ,व प0न0 390/422(22) के किला न0 1 ता 3 ,9 व 10 की 1.2650हैक कुल 3.1119हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पास रहेगी तथा प0न0 390/421(19) के किला न0 7 ,14 ,21 के मिन पूर्व में उत्तर से दक्षिण 1–1 बिश्वा तथा किला न0 13 ,14 के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम 1–1 बिश्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज किया जावे ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 100/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 02/08/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with OKEN Scanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. हरिराम पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 फूलीदेवी पत्नी नारायणसिह जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
2. महेन्द्र सिह पुत्र नारायणसिह जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
3. विनोद कुमार पुत्र नारायणसिह जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
4. शिशपाल पुत्र नारायणसिह जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 469 सन 2022 निर्णय दिनांक– 02/08/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 11 एनटीआर ए के खाता संख्या 29/28 की कुल 6.3250हैक में से प0न0 390/421 (19) के किला न0 3 ,4 ,7 ,8 ,13 ,14 ,17 ता 22 प्रत्येक 0.2530हैक व किला न0 23 में पश्चिम की 0.1771हैक कुल 3.2121हैक भूमि वादी के पास रहेगी एवं प0न0 390/421(19) के किला न0 1 ,2/0.506हैक ,9 ता 12/1.0120हैक , 23 मिन पूर्व की 0.0759हैक , 24/0.2530 ,व प0न0 390/422(22) के किला न0 1 ता 3 ,9 व 10 की 1.2650हैक कुल 3.1119हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पास रहेगी तथा प0न0 390/421(19) के किला न0 7 ,14 ,21 के पूर्व में उत्तर से दक्षिण 1–1 बिश्वा तथा किला न0 13 ,14 के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम 1–1 बिश्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज किया जावे ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 100/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 02/08/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with OKEN Scanner